DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G), Ph. : +91-7753-253801
Fax : 07752-253728, email : info@cvru.ac.in
visit us at : www.cvru.ac.in

क्र.171 / कु.स. / सी.वी.आर.यू. / 2016 बिलासपुर, दिनांक : 03.06.16

प्रति,

अध्यक्ष महोदय,
छत्तीसगढ़ निजि विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
छत्तीसगढ़ शासन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय का माह मई – 2016 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय द्वारा माह मई – 2016 का मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।

सादर,

शैलेष पाण्डेय
कुलसचिव

डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय

करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

मासिक प्रगति पत्रक

माह :– मई – 2016

01	विश्वविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष।	डॉ. सी. वी. रामन् वि. वि., स्थापना वर्ष **नवम्बर 2006,**
02	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी।	फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी बी. ई. (कम्प्यूटर साईस) बी. ई. (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी) बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन) बी. ई. (इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स) बी. ई. (मेकनिकल) बी. ई. (सिविल) फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.) मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम. एड.) मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी (विभिन्न पाठ्यक्रमों में संचालित) फैकल्टी ऑफ कॉमर्स (बी. काम.) (एम. काम.) (एम.बी.ए.) फैकल्टी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एम एस सी (आई टी) (मास्टर ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी) पीजीडीसीए (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन) बी.सी.ए. (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) डी.सी.ए. (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन) फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बी. ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स) एम. ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स) फैकल्टी ऑफ साईस फैकल्टी ऑफ लॉ शोध पाठ्यक्रम दूरवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम
03	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विनियामक इकाईयों के द्वारा	हॉं, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये संबंधित विनियामक

	सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति।	इकाईयों के द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
04	विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं (भवन, प्रयोगशाला, ग्रंथालय, खेल मैदान, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सुविधायें।)	विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें पर्याप्त है।
05	क्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें संचालित पाठ्यक्रमों के अनुरूप हैं?	उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, पाठ्यक्रमों के अनुरूप है। नए उपकरणों का क्रय किया जा चुका है। नया फर्नीचर एवं लाईब्रेरी के लिये पुस्तकों इत्यादि का क्रय भी किया जा चुका है।
06	विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारियों की जानकारी।	विश्वविद्यालय में 24 विभाग संचालित है, जिसमें शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है।
07	विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षक।	विश्वविद्यालय में 24 विभाग संचालित है, जिसमे शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है। विभाग में छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर शिक्षकों एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की गई है।
08	क्या विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है?	शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार की गई है एवं मापदंडो के अनुरूप है।
09	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की संख्या मापदंडों के अनुरूप है ?	शिक्षकों की संख्या मापदंडों के अनुरूप है, एवं छात्रों की संख्या के अनुसार है।
10	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के लिए परिनियम/अध्यादेश का अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण।	परिनियम एवं अध्यादेश विधिवत् अनुमोदित है एवं माननीय आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के परिनियम के आधार पर निम्न ईकाइयों का गठन किया गया है, जिसमें अंतर्गत शासी निकाय, प्रबंध मंडल एवं अकादमिक कांऊसिल का गठन किया गया है, जिसमें प्रबंध मंडल द्वारा समय–समय पर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन

		कर अपग्रेड किया जाता है, तथा उच्च कोटि के लैब, लाईब्रेरी का निर्माण पाठ्यक्रमानुसार किया गया है। प्रबंध मंडल द्वारा समय–समय पर शोध कार्य हेतु सेमीनार, वर्कशाप एवं फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया जाता है।
11	क्या विनियामक आयोग/शासन के द्वारा निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो निरीक्षण में पाई गई कमियां तथा कमियों को दूर करने के लिये विश्वविद्यालय को दिये गये निर्देश, क्या विश्वविद्यालय द्वारा शासन/विनियामक आयोग के निर्देशों का पालन किया गया है?	हॉ, माननीय आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 07.01.2014 को किया गया था। माननीय आयोग के निर्देशों का पालन नियमानुसार किया जा रहा है।
12	विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर संक्षिप्त प्रतिवेदन।	विश्वविद्यालय द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमानुसार एवं अध्यादेशों के अनुरूप प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा दी गई शुल्क द्वारा विश्वविद्यालय में अलग–अलग विभागों के लिये भवन, प्रयोशालाओं का निर्माण एवं उच्च कोटि के आधुनिक उपकरणों का क्रय, समस्त विभाग के अधिकारीगण, शिक्षणगण एवं कर्मचारियों के लिये फर्नीचर, ग्रंथालय में विभागानुसार पुस्तकों का क्रय एवं ग्रंथालय में छात्र–छात्राओं के लिये अध्ययन करने के लिये उच्च कोटि की व्यवस्था मापदण्डों के अनुरूप, आवागमन साधन एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा युनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी ऋण लिया गया है, विश्वविद्यालय की पितृ संस्था द्वारा भी विश्वविद्यालय को समय–समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति नियमानुसार नियमित रूप से है।
13	छात्रों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी।	छात्रों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
14	क्या शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क	अध्यादेशों के अनुकूल ही शुल्क लिया

	विद्यार्थियों से लिये जाते हैं? यदि हां तो उसका औचित्य।	जाता है, अतिरिक्त शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है।
15	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम यूजीसी, एआईसीटीई या अन्य विनियामक इकाईयों के मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुरूप हैं?	विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम यूजीसी की सूची (22) के अनुरूप है तथा एआईसीटीई, एनसीटीई या अन्य विनियामक इकाईयों के अनुसार है एवं अनुमोदित है, जिसका निरीक्षण संबंधित इकाईयों द्वारा तथा आयोग द्वारा किया जा चुका है।
16	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां।	– डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय में नये सत्र में प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, इसके लिये पूर्व निर्धारित तारीख में इंजीनियरिंग टेस्ट आयोजित प्री इंजीनियरिंग टेस्ट प्री एमबीए टेस्ट व प्री. पालीटेक्निक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें प्रदेश भर के 6620 विद्यार्थी शामिल हुये। – डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय में संकल्प के साथ बारिश के पानी को संरक्षित करने की पहल शुरू हो गई है, इसके लिये कैपंस में बने 30 हजार वर्गफीट बिल्डिंग क्षेत्र में गिरने वाले बारिश के पानी को 6 हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम संरक्षित किया जायेगा। इसमें 3 प्री–फिल्टर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाये जा रहे है, बारिश से विश्वविद्यालय परिसर में कुल 30 लाख लीटर पानी की बचत की जायेगी और पानी को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। – सत्र 2015–16 की शैक्षणिक गतिविधियॉ एवं प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना। नवीन पाठ्यक्रमोंके अनुरूप संसाधनों का निर्माण करना।

17	विश्वविद्यालय के संचालन में आने वाली प्रशासनिक, अकादमिक एवं अन्य कठिनाईयों की जानकारी।	–	GAD के Circular में अभी तक विश्वविद्यालय का नाम समस्त विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

शैलेष पाण्डेय
कुलसचिव